Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 GISRRJ | Volume 3 | Issue 6 | ISSN : 2582-0095

दत्तक पुत्र का संपत्त्याधिकार (प्राचीन से अधुनापर्यन्त)

डॉ. सर्वेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
संस्कृत विभाग,
के.एन.आई.पी.एस.एस., सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info
Volume 3 Issue 6
Page Number: 42-45
Publication Issue :
November-December-2020
Article History
Accepted : 01 Dec 2020
Published : 25 Dec 2020

सारांश – दत्तक को मान्यता प्रदान कर सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसके अधिकारों का विधिवत् विवेचन किया गया है। किन परिस्थितियों में वह सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सेदार होगा, किन परिस्थितियों में वह सम्पत्ति के विभाजन की माँग कर सकेगा आदि विषयों को युक्तिसंगत ढंग से नियमित व व्याख्यायित किया गया है। दत्तकग्रहण की संकल्पना को अब पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया है।

मुख्य शब्द – दत्तक पुत्र, संपत्त्याधिकार, प्राचीन, आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, धर्मसूत्र,याज्ञवल्क्य स्मृति, लोहित स्मृति।

दत्तक का सामान्य अर्थ है, दूसरे की सन्तान को अपना बना लेना। यह वास्तव में वह विधिक परिकल्पना है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति का हित साधा गया है। दत्तक की विधि सन्तानहीन व्यक्ति को सन्तानवान करती है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना अपत्य दे देता है तो इस देने–लेने के कृत्य को अर्थात् किसी अन्य की सन्तान को अपना बनाने के कृत्य को 'दत्तक' कहते हैं। हिन्दुओं ने सन्तानहीन की समस्या का समाधान अपनी सभ्यता के प्रारम्भिक काल में ही कर लिया था। दत्तक विधान हिन्दुओं में सदैव ही एक धार्मिक कृत्य समझा जाता रहा है। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार माता–पिता द्वारा अथवा अन्य व्यक्ति के द्वारा सन्तान के निमित्त प्रदत्त पुत्र 'दत्तक–पुत्र' कहलाता है।[i] मनुस्मृति के अनुसार आपातकाल में माता–पिता विधि–विधान के साथ संकल्पपूर्वक अपने पुत्र को, समान रूप से प्रसन्नता के साथ यदि समान जाति के किसी अन्य व्यक्ति को दे दें तो उसे दत्तक (दत्रिम) कहते हैं –

माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि।
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः।।[ii]

याज्ञवल्क्य स्मृति में भी दत्तक पुत्र का उल्लेख प्राप्त होता है – **'दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्।'**[iii] इसकी व्याख्या में मिताक्षराकार ने लिखा है कि 'दत्तक' पुत्र वह है, जो उसकी जननी के द्वारा अपने स्वामी

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

की आज्ञा से अथवा उनके दूर देश जाने पर अथवा स्वामी की मृत्यु हो जाने पर अपने जिस सवर्ण पुरुष को दिया जाता है, वह उस सवर्ण पुरुष का 'दत्तक' पुत्र होता है। इसी प्रकार उक्त सवर्ण पुरुष को पिता के द्वारा अथवा माता और पिता दोनों के द्वारा अपना पुत्र दिये जाने पर भी वह सवर्ण पुरुष का दत्तक पुत्र होता है।[iv]

लोहित स्मृति ने दत्तक पुत्र के दो प्रकार बताये हैं– सापेक्ष तथा निरपेक्ष। निरपेक्ष को सम्पत्ति का चतुर्थांश प्राप्त होता है। दत्त को ग्रहण करने के उपरान्त यदि औरस पुत्र उत्पन्न हो जाता है, तो औरस और दत्त दोनों को ही सम्पत्ति का बराबर भाग प्राप्त होता है –

दत्तः पितृभ्यां दत्ताख्यः सापेक्षाभ्यां च
सद्विधः तथैव निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक्।
ततो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पालकस्य वै।
सोऽयं वै समभागी स्यात्पश्चाज्जातौरसेन वै।[v]

मित्र मिश्र ने वीरमित्रोदय में 'दत्तक ग्रहण एवं त्याग' के सम्बन्ध में बताया है कि यदि किसी दम्पत्ति के एक ही पुत्र हो तो उसे दत्तक के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए और न ही ऐसे सन्तान का दत्तक ग्रहण करना चाहिए। प्रथम पुत्र को स्त्री अथवा पुरुष को ही रखना चाहिए –

न त्वेकं पुत्रं दद्यात्प्रतिगृहणीयाद् वा। स हि सन्तानाय पूर्वेषां न तु स्त्री पुत्रं दद्यात्प्रतिगृहणीयाद्वान्यत्रानुज्ञानाभर्त्तुरिति।[vi]

आधुनिक युग में हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के द्वारा दत्तक विधि को अब संहिताबद्ध कर दिया गया है। साथ ही इसमें अनेक नियम, उपनियम बना दिये गये हैं। इस अधिनियम में उल्लंघन किये जाने पर दत्तक ग्रहण शून्य होगा। ध्यातव्य है कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 21 दिसम्बर 1956 को मिलने के कारण इसे हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण–पोषण अधिनियम, 1956 कहा जाता है। इसके तहत वर्तमान में केवल औरस और दत्तक पुत्र को ही वैध माना गया है। इस अधिनियम के द्वारा दत्तक, दत्तक का स्वरूप, दत्तक देने और लेने के लिए सक्षम व्यक्ति, दत्तक का अनुष्ठान, दत्तक का परिणाम, दत्तक जनक का अपनी सम्पत्ति हस्तान्तरित करने का अधिकार आदि विषयों पर विस्तार से विवेचन किया गया है, जिसका विवरण और विवेचन किया गया है। इस संबंध में कुछ उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं –

दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जायेगा और उस तारीख से यह समझा जायेगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त बन्धन टूट गये हैं और उनका स्थान इन बन्धनों ने ले लिया है जो दत्तक–कुटुम्ब में दत्तक के कारण सृजित हुये हैं। परन्तु –

(क) वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा, जिससे कि यदि वह अपने जन्म के कुटुम्ब में ही बना रहा होता तो वह विवाह नहीं कर सकता था।

(ख) कोई भी सम्पत्ति जो अपत्य ने दत्तक के पूर्व उपार्जित की है या उत्तराधिकार में पायी है। दत्तक के पश्चात् भी उसी की सम्पत्ति रहेगी।[अपप] उदाहरणस्वरूप दो भाई 'क' और 'ख' ने अपने नाना से उत्तराधिकार में कुछ सम्पत्ति पायी। उसके पश्चात् पिता ने 'क' को दत्तक कर दिया, इस पर भी नाना द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त आधी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 'क' बना रहेगा।

(ग) पुरानी हिन्दू विधि से भिन्न दत्तक अपत्य की उत्तराधिकार के सम्बन्ध वही स्थिति है, जो औरस अपत्य की है। दत्तक भरण तथा पोषण अधिनियम के अधीन दोनों की स्थिति बराबरी की है और दोनों ही उत्तराधिकार में बराबर हिस्सा लेंगे।

(घ) दत्तक अपत्य किसी व्यक्ति को उस सम्पदा से निर्विहित (वंचित) नहीं करेगा जो उस व्यक्ति में दत्तक के पूर्व निहित हो गयी है।[अपपप] उदाहरण के लिए प अपनी विधवा क्ष और दो पुत्रियाँ त्र और ज्ञ को छोड़कर मृत हो गया। क्ष, त्र और ज्ञ प्रत्येक में प की सम्पत्ति का एक तिहाई भाग निहित हो गया। जब विधवा क्ष, 'क' को गोद लेती है तो 'क' क्ष, त्र, ज्ञ किसी को भी सम्पत्ति से निर्विहित नहीं कर सकता है।

(ङ) दत्तक लेने के पश्चात् भी दत्तक जनक को अपनी सम्पत्ति का किसी भी रूप में हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार बना रहता है।[ix]

(च) हस्तान्तरण या व्ययनित करने की शक्ति को सीमित करने का करार होते हुए भी दत्तक अपत्य अपने दत्तक माता या पिता से किसी सम्पत्ति, चल या अचल की माँग नहीं कर सकता है और न ही उनका उपयोग माँग सकता है।[x]

(छ) इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार दत्तक की तारीख से दत्तक पुत्र सहदायिक हो जायेगा और उसे सहदायिक के सब अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हो जायेंगी।

(ज) खजान सिंह बनाम भारत संघ[गप] के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारण किया कि दत्तक–ग्रहण पूर्ण होते ही दत्तक पुत्र स्वतः ही उसी जाति का हो जाता है जिस जाति के उसके दत्तक माता–पिता हैं। शास्त्रिक विधि की तरह उस बालक को उसी जाति या उपजाति का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिये यदि एक अनुसूचित जाति (शूद्र) का पुरुष अपनी पत्नी की सहमति लेकर एक क्षत्रिय या ब्राह्मण परिवार के बालक को गोद लेता है, जिसे उस बालक का पिता बालक की माता की सहमति लेकर गोद में देता है, तो जिस दिन तथ्यतः बालक को गोद में लिया जाना और दिया जाना हुआ है, उसी दिन से वह बालक अनुसूचित जाति (शूद्र) का हो जायेगा। इसी प्रकार एक शूद्र बालक को ब्राह्मण परिवार द्वारा गोद लिये जाने पर वह स्वतः ही ब्राह्मण हो जायेगा।

इस प्रकार दत्तक को मान्यता प्रदान कर सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसके अधिकारों का विधिवत् विवेचन किया गया है। किन परिस्थितियों में वह सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सेदार होगा, किन परिस्थितियों में वह सम्पत्ति के विभाजन की माँग कर सकेगा आदि विषयों को युक्तिसंगत ढंग से नियमित व व्याख्यायित किया गया है। दत्तकग्रहण की संकल्पना को अब पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया है।

संदर्भ

[i] असंस्कृतानामतिसृष्टां यामुपयच्छेत्तस्या यो जातस्य कानीनः। *बौ. धर्म.* 3/2/24

[ii] *मनु.* 9/168

[iii] *याज्ञ.* 8/130

[iv] मात्रा भर्त्रनुज्ञया प्रोषिते प्रेते वा भर्तरि पित्रा वोभाभ्यां वा सवर्णाय यस्मै दीयते स तस्य दत्तकः पुत्रः। *याज्ञ.*, मिताक्षरा व्याख्या

[v] *लोहित स्मृति* 186

[vi] *वीरमित्रोदय*, मित्रमिश्र, पृ. 477

[vii] मुथुकृष्णन बनाम श्री पलानी (1969), मद्रास लॉ जर्नल 129

[viii] चन्द्रानी बनाम प्रदीप, 1991, मध्य प्रदेश, 286; धारा 12(ग)

[ix] दीनाजी बनाम डांडी, 1990 सु.को. 1153

[x] चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका बनाम जगजीत सिंह, 2001, सु. को. 266

[xi] खजान सिंह बनाम भारतसंघ, ए.आई.आर. (1980) दिल्ली 70 (इसमें अनुसूचित जाति में क्षत्रिय बालक को गोद लिया गया था)